B-2
L-11
Polity

सरकारी सेवाओं में आरक्षण

संबंधित संविधान संशोधन

1. 77वां संविधान संशोधन, 1995 → अनुच्छेद 16(4)(A) जोड़ा गया।
2. 81वां संविधान संशोधन → अनुच्छेद 16(4)(B) जोड़ा गया।
3. 82वां संविधान संशोधन
4. 85वां संविधान संशोधन

आरक्षण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के वाद

1. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद, 1992
2. एम० नागराजन वाद, 2006
3. ई० वी० चिन्नैया वाद (2004)
4. जरनैल सिंह वाद (2022)

आरक्षण से संबंधित मुद्दे

1. पिछड़ा वर्ग कौन है?
2. अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का क्या तात्पर्य है?
3. राज्य के अंतर्गत आरक्षण
4. प्रोन्नति में आरक्षण
5. आरक्षण की अधिकतम सीमा

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

* पिछड़ा वर्ग कौन है?

- संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मण्डल आयोग के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि भारत में पिछड़ी जाति ही पिछड़ा वर्ग है। [इंदिरा साहनी वाद] पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति व जनजाति भी शामिल है, जिनके अलावा पिछड़े वर्गों को अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है।
- न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद में यह भी कहा कि पिछड़ी जाति के सभी व्यक्ति पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं है और इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार दिया जिसके अनुसार, पिछड़ी जाति के वे व्यक्ति जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं या जनरल, कर्नल जैसे सेना के उच्च पदों पर हैं, वे पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं होंगे।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

• क्रीमी लेयर:-

↳ क्रीमी लेयर का विचार देकर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार पिछड़ेपन में आर्थिक आधार को भी शामिल कर लिया लेकिन यह भी माना कि अनुसूचित जाति - जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का विचार लागू नहीं होगा।

↳ संघ सरकार के द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए अखिल भारतीय और केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पिछड़े वर्ग को प्राप्त 27% आरक्षण को विभिन्न जातियों के उपसमूहों में वर्गीकरण के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने पिछड़ी जातियों में भी चार प्रकार के वर्गीकरण का सुझाव दिया है लेकिन यह अभी भी लागू नहीं किया जा सका है।

↳ ठीक इसी प्रकार अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए उपलब्ध आरक्षण को भी विभिन्न वर्गों में विभाजित करने पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

अभी भी निर्णय विचाराधीन है।

* अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आशय क्या है?

- अनुच्छेद 16(4) में यह उल्लेखित है कि पिछड़े वर्गों को उसी शर्त पर राज्य के अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा, जब सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होगा।

- इसका यह स्पष्ट अभिप्राय है कि आरक्षण की सीमा निर्धारित करते समय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ देखने का प्रयास किया, जिसमें यह उल्लेखित है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करते समय सेवाओं की कुशलता को ध्यान में रखा जाएगा।

- फिलहाल संघ सरकार के द्वारा सेवाओं में 59.5% आरक्षण किया गया है यद्यपि इंदिरा साहनी वाद में कहा गया था कि आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

लेकिन 103 वें संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण की मात्रा बढ़ा दी गयी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक भी मान लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्यों के द्वारा आरक्षण की मात्रा को बढ़ाकर 80% कर दिया जो कुशलता और अवसर की समानता दोनों विचारों का विरोधी प्रतीत होता है।

* प्रोन्नति में आरक्षण:-

- आरंभिक रूप में संविधान में प्रोन्नति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन इसे विभिन्न नीतियों के माध्यम से संघ एवं राज्य सरकारों के द्वारा व्यवहारिक रूप में लागू किया गया, जो केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए था। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद में यह कहा कि आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति के लिए है, प्रोन्नति के लिए नहीं।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

• इंदिरा साहनी वाद के निर्णय:-

↳ आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

↳ आरक्षण की सीमा 50% तय की गयी

↳ आरक्षित बैकलाग सीटों को carry forward किया जा सकता है।

↳ प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

• इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद प्रोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखने के लिए 77 वां संविधान संशोधन किया गया। जिसके अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को प्रोन्नति में आरक्षण मिलता रहेगा। [अनुच्छेद 16(4)(A)]

• 85 वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 16(4)(A) में प्रोन्नति में आरक्षण के साथ पारिणामिक वरिष्ठता का विचार भी जोड़ दिया गया और 81 वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि बैकलॉग रिक्तियों के लिए

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

50% की सीमा लागू नहीं होगी। अतः इसे शत प्रतिशत आरक्षित किया जा सकता है।

[अनुच्छेद 16(4)(B)]

* अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर पर विचारः-

एम. नागराजन वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पोन्नति में आरक्षण देना है, तो निम्नलिखित तीन मानकों को पूरा करना आवश्यक हैः-

i) वे पिछड़े हैं
ii) सेवाओं की कुशलता प्रभावित न हो
iii) इनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।

यद्यपि इस वाद में न्यायपालिका ने 77 वें संविधान संशोधन को संवैधानिक कहा लेकिन इस निर्णय के कारण पोन्नति में आरक्षण पर प्रतिबंध लग गया।

यही मुद्दा पुनः उच्चतम न्यायालय में जनरैल सिंह वाद में विचार किया और

कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का विचार नहीं ले सकता क्योंकि उनके बीच वर्गीकरण करना संभव नहीं है लेकिन पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्यों को कोई आँकड़ा अथवा डेटा जुटाने की आवश्यकता नहीं है और ई० वी० चिनैया वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बीच कोई वर्गीकरण संभव नहीं है। लेकिन पंजाब सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण के लिए इनमें वर्गीकरण का प्रयास किया, जिस पर निर्णय उच्चतम न्यायालय में लंबित है और भविष्य में पूरी संभावना है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी क्रीमी लेयर का विचार लागू होगा क्योंकि जैसे ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गीकरण का प्रयास किया जाएगा, क्रीमी लेयर स्वाभाविक रूप से लागू हो जाएगा।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR